रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 482] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 1984/पौष 8, 1906

No. 482] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 1984/PAUSA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1984

सा. का. नि. 830 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंडला पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) सशोधन विनियम, 1984 का संलग्न अनुसूची के अनुसार अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनिगम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

[एफ. डब्ल्यू पी. डब्ल्यू./पी.ई आर.-14/84]

पी. वी राव, संयुक्त सचिव

कंडला पोर्ट का न्यासी मंडल, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसी की धारा 124(1) के अधीन केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ कंडला पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :—

कंडला पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 1984

(1) इन विनियमों को कंडला पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन, विनियम, 1984 कहा जाये।

(2) ये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) कंडला पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम 1964 में

(1) विद्यमान विनियम 15 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:—

"15 कर्मचारी चयन समिति का गठन"

प्रत्येक ग्रेड के लिए चयन समिति का गठन नीचे लिखे अनुसार किया जाएगा :—

पद श्रेणी—1 के पद :—

अध्यक्ष : मंडल का अध्यक्ष

सदस्य :

(1) उपाध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति मे मंडल के अध्यक्ष द्वारा नामित कोई विभाग प्रमुख

(2) उस विभाग का प्रमुख जहां रिक्ति विद्यमान हो।

पद श्रेणी—2 के पद :

अध्यक्ष : मंडल के उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में मंडल के अध्यक्ष द्वारा नामित कोई विभाग प्रमुख

सदस्य :

(1) उस विभाग का प्रमुख जहां रिक्ति विद्यमान हो।

(2) मंडल के अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य विभाग प्रमुख

श्रेणी—3 के पद :

अध्यक्ष . बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित विभाग प्रमुख

सदस्य :

(1) कार्मिक मामलों से सम्बद्ध मंडल का उप सचिव।

(2) मंडल के अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य अधिकारी ।

श्रेणी—4 के पद

अध्यक्ष : संबंधित विभाग प्रमुख या संबंधित विभाग का उप प्रमुख और जहां पद सर्वसाधारण प्रवर्ग का है वहां अध्यक्ष द्वारा नामित विभाग प्रमुख अथवा विभाग का उप प्रमुख।

सदस्य :

(1) वरिष्ठ श्रम अधिकारी।

(2) मंडल के अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य अधिकारी।

(ii) विद्यमान विनियम 16 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

"16. विभागीय प्रोन्नति समिति :

प्रत्येक ग्रेड या पद हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन नीचे लिखे अनुसार किया जाएगा :—

श्रेणी—1 के पद :

अध्यक्ष : मंडल के अध्यक्ष

सदस्य :

(1) उपाध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामित कोई विभाग प्रमुख

(2) उस विभाग का प्रमुख जहां रिक्ति विद्यमान हो ।

श्रेणी—2 के पद :

मंडल के उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में मंडल के अध्यक्ष द्वारा नामित विभाग प्रमुख।

सदस्य :

(1) उस विभाग का प्रमुख जहां रिक्ति विद्यमान हो ।

(2) अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य विभाग प्रमुख।

श्रेणी—3 के पद :

अध्यक्ष : अध्यक्ष द्वारा नामित विभाग प्रमुख

सदस्य :

(1) कार्मिक मामलों से सम्बद्ध मंडल का उप सचिव।

(2) मंडल के अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य अधिकारी।

श्रेणी—4 के पद .

अध्यक्ष : संबंधित विभाग प्रमुख या संबंधित विभाग का उप प्रमुख और जहां पद सर्वसाधारण प्रवर्ग का है वहा अध्यक्ष द्वारा नामित कोई विभाग प्रमुख अथवा उसका उप प्रमुख

सदस्य :

(1) वरिष्ठ श्रम अधिकारी।

(2) मंडल के अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य अधिकारी ।

सचिव,
कांडला पत्तन न्यास

फुट नोट :
विनियम की जी. एस. आर संख्या 304 है।

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 1984

G.S.R. 830(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 1984, as set out in the Schedule attached.

2. The said regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F.W. PW|PER-14|84]
P. V. RAO, Jt. Secy.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and with the approval of the Central Government under Section 124 (1) ibid, the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby make the following regulations to further amend the Kandla Port Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Regulations 1964, namely :—

THE KANDLA PORT EMPLOYEES (RECRUITMENT, SENIORITY & PROMOTION) AMENDMENT REGULATIONS, 1984.

I. These regulations may be called the Kandla Port Emplpoyees (Recruitment, Seniority & Promotion) Amendment Regulations, 1984.

II. They shall come into force on the date on which the Central Government's approval thereto is published in the Official Gazette.

III. In the Kandla Port Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1964—

(i) Substitute the existing Regulation 15 by the following :—

"15. Constitution of Staff Selection Committee :
A Staff Selection Committee shall be constituted for each grade as indicated below :—

Class I posts :

Chairman : Chairman of the Board

Members :

(1) Deputy Chairman or in his absence any Head of Department nominated by the Chairman of the Board.

(2) Head of the Department where the vacancy exists.

Class II posts :

Chairman :

Deputy Chairman of the Board or in his absence Head of Department nominated by the Chairman of the Board.

Members :

(1) Head of the Department where the vacancy exists.

(2) Another Head of Department nominated by the Chairman of the Board.

Class III posts :

Chairman :

Head of a Department nominated by the Chairman of the Board.

Members :

(1) Deputy Secretary of the Board dealing with personnel matters.

(2) Another officer nominated by the Chairman of the Board.

Class IV posts :

Chairman :

Head of the concerned Department or his Deputy and where the post is of a common category a Head of Department nominated by the Chairman, or his deputy.

Members :

(1) Senior Labour Officer.

(2) Another officer nominated by the Chairman of the Board."

(ii) Substitute the existing Regulation 16 by the following :—

"16. Departmental Promotion Committee :
A Departmental Promotion Committee shall be constituted for each grade or post as indicated below :—

Class I posts :

Chairman :

Chairman of the Board.

Members :

(1) Deputy Chairman or in his absence any Head of Department nominated by the Chairman.

(2) Head of the Department where the vacancy exists.

Class II Posts :

Chairman :

Deputy Chairman of the Board or in his absence Head of a Department nominated by the Chairman of the Board.

Members :

(1) Head of the Department where the vacancy exists.

(2) Another Head of Department nominated by the Chairman.

Class III Posts :

Chairman :

Head of a Department nominated by the Chairman.

Members :

(1) Deputy Secretary of the Board dealing with personnel matters.

(2) Another officer nominated by the Chairman of the Board.

Class IV Posts :

Chairman :

Head of the concerned Department or his deputy, and where the post is of a common category a Head of Department nominated by the Chairman, or his deputy.

Members :

(1) Senior Labour Officer.

(2) Another Officer nominated by the Chairman of the Board".

Sd/-

Secretary
Kandla Port Trust.

Foot Note :—Principal Regulation published in the Gazette of India as G.S.R. No. 304 of 1964.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985